

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू जिला जयपुर

बहुजलास :- गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 10/2023

1. रामजीलाल पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी, रेटा, तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर ।
2. रामनारायण पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी, रेटा, तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर ।
3. गोपाल पुत्र हरदेव जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी, रेटा, तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर ।

(निगरानीकार)

बनाम

1. नर्वदा देवी पत्नी देशराज चौधरी जाति जाट निवासी देगडों की ढाणी रेटा, तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत रसीली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत रसीली, तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर ।

(रेस्पोंडेंटस)



अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम विरूद्ध संकल्प संख्या 3, पट्टा संख्या 73


दिनांक 06.12.2021 ग्राम पंचायत रसीली द्वारा जारी किया गया के विरूद्ध

1. श्री विनोद कुमार जैन विद्वान अधिवक्ता, निगरानीकार ।
2. श्री कन्हैया लाल माली विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट संख्या 01

निर्णय


दिनांक :- 02.07.2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रसीली, तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर में प्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जे की भूमि रही है। जिसमें प्रार्थीगण का पुश्तैनी बाड़ा बना हुआ है बाड़ में कच्चा मकान बना हुआ है जिसके चद्दर लगे हुये है जिसके चारों तरफ कच्ची डोल व बाड़ लगी हुई है जिसकी सीमाये निम्न प्रकार से है पूर्व में शिव मंदिर व आम चौक, पश्चिम में रामनारायण जी का बाड़ा, उत्तर में आम रास्ता 13 फीट व श्रवण, रामजीलाल, रामनारायण, गोपाल की खातेदारी भूमि में बाड़ा, दक्षिण में गोपाल का बाड़ा 13 फीट, रामनारायण रामजीलाल का रास्ता उक्त सीमाओं में प्रार्थीगण का बाड़ा, कच्चा मकान है जिसका प्रार्थीगण उपयोग उपयोग में लेते चले आ रहे है जो आवासीय मकानों के साथ उपयोग में लेते चले आ रहे है जिसका अप्रार्थी ने अपने स्वत्व व आधिपत्य का गलत रूप से

  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
दूदू



दशति हुये गलत तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत सरपंच से मिलीभगत करते हुये प्राचीन की बाड़े व उपयोग की भूमि को हड़प करने हेतु पट्टा संख्या 73 तैयार करवा लिया जबकि अप्राथीयों का भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा नहीं है न उसके स्वत्व व आधिपत्य की है तथाकथित पट्टे की भूमि को प्रार्थीगण ने पूर्व कब्जाधारियों से कय किया है जब से प्रार्थीगण मोके पर काबिज रहकर उपयोग में लेते चले आ रहे है। उक्त तथाकथित पट्टेशुदा भूमि पूर्व में हीरालाल, कैलाश, श्योजी पिता बालूराम जाट निवारी रेटा के कब्जे की भूमि थी तथा शेष भूमि अन्य कब्जेधारियों की थी जिसको प्रार्थीगण ने कय कर लिया और उक्त भूमि पर काबिज रहकर उपयोग उपयोग में लेते चले आ रहे है जिसका अप्राथीयां संख्या 1 ने तथाकथित पट्टा सरपंच से मिलीभगत करते हुये पोशिदा कार्यवाही के जरिये प्राप्त कर लिया है। ग्राम रसीली के सरपंच ने दिनांक 06.12.2021 को पट्टा संख्या 73 जारी किया जो विना प्रस्ताव, विना पंचों की सहमति व विना नियम कानून कायदे के जारी किया है। जिस तरीके से अनुमोदन किया गया वह कानूनी नियमों के खिलाफ था क्योंकि ना तो कोई ग्राम सभा आयोजित की गई और ग्राम सभा के मुताबिक उस कोरम में जितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए थे ना तो उनकी उपस्थिति थी ना ही उनके हस्ताक्षर थे पूरी तरह से इस पट्टे के संबंध में सरपंच ने फजी व पोशिदा कार्यवाही की जो पंचायत अधिनियम के खिलाफ थी। क्योंकि दुकान, भूखण्ड व आवासीय पट्टों के संबंध में पंचायत एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं हुयी और पंचायत एक्ट के नियम 255 व 265 की कोई पालना नहीं करते हुये पट्टा जारी किया गया। पट्टेधारी ने प्रार्थीगण को उनकी कब्जेशुदा भूमि से हाल ही में वेदखल करने की ऐलानियां धमकी दी है कि मेरे पास उक्त भूमि का पट्टा है इससे तुम अपना कब्जा हटा लो वरना मैं लठ के जोर से उक्त भूमि पर कब्जा कर लूंगी जिससे प्रार्थीगण को श्रीमान् के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। जिस जगह का पट्टा जारी किया गया वह जगह पूर्व से ही प्रार्थीगण के कब्जे में चली आ रही थी लेकिन सरपंच ने विना मौका व विना रिकॉर्ड की जांच किये ही पट्टा संख्या 73 जारी किया है। पट्टा जारी दिनांक 06.12.2021 से पूर्व कब्जा न होते हुये भी सरपंच ने पट्टा जारी किया है उस भूमि पर न तो पट्टाधारियों में कब्जा था न ही वर्तमान में है। निगरानी के लिए कोई मियाद अधिनियम सीमा निश्चित नहीं है फिर भी कानूनी बिन्दू के लिये धारा 5 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः निगरानी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत रसीली द्वारा जारी किया गया संकल्प संख्या 3, पट्टा संख्या 73 दिनांक 06.12.2021 को निरस्त फरमाया जावे।




निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेंटस की तलवी जारी की गई तलवी के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर गैरनिगरानीकार के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। दिनांक 03.01.2024 को गैरनिगरानीकार संख्या 1 की ओर से वकील श्री कन्हैयालाल माली ने वकालतनामा व प्रा0पत्र ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी पेश किया। निगरानीकार वकील द्वारा अनापत्ति जाहिर करने पर प्रा0पत्र ऑर्डर 9 रूल 7 सीपीसी स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया।

गैरनिगरानीकार संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 06.12.2021 को पट्टा संख्या 73 ग्राम पंचायत रसीली द्वारा विधि अनुरूप पंचायती राज प्रावधानों के अनुसार जारी किया गया है। निगरानीकार का कोई कब्जा ही पट्टे शुदा भूमि पर नहीं रहा तो कब्जे से वेदखल का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रारम्भ से गैर निगरानीकार के कब्जे शुदा एवं परिवारजनों की कब्जे शुदा भूमि रही है। जिसका किसी दीगर व्यक्ति से संबंध सरोकार नहीं रहा है। निगरानीकार गणों का कभी भी पट्टे शुदा भूमि से संबंध एवं सरोकार नहीं रहा है तथा ना ही कोई कब्जा रहा है उक्त पट्टे शुदा भूमि गैर

अतिरिक्त किना कलक्टर  
दू

अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रसीली की पंचायती का अवलोकन किया गया संबंधित हमने विद्वान अधिवक्ता उमयश्व की बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पंचायती

अतः उक्त निगानी खारिज करमायी जावे ।  
पंचायत को रखावित किया है । निगानीकार के कथन सिद्ध्यायी है । निगानी पंचायत नहीं है और ना ही कोई ऐसा साक्ष्य दस्तावेज पेश किया है कि उक्त मूंस जोर्डन्ट लेड थी और न ही अनुसार पट्टे के संबंध में कायदावाही की गई है । निगानीकार ने ना तो निगारा पेश किया है द्वारा पट्टे के संबंध में कोई भी आपत्ति पेश नहीं की गई है । ग्राम पंचायत रसीली द्वारा विधि निगानीकार कभी मूंस को पुरवैनी बलता है तो कभी कय करना बलता है । निगानीकार कि रिपोर्ट है पट्टे को रट्टे नहीं किया जा सकता है । सिविल कोर्ट को पंच है । जावे । गैर निगानी ने अपनी बहस में जवाब में अतिक तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया ग्राम सम में दस्तावेज पेश नहीं किये गये । अतः निगानीकार की निगानी स्वीकार करमाई मौका रिपोर्ट पर पडसिधिया के भी दस्तावेज नहीं है । सरसरी तौर पर तीन पयों के दस्तावेज है नहीं देखा कि मूंस पुरवैनी भी थी या नहीं । पट्टा रुल्स का फॉलो नहीं किया गया तथा कय निगारा रखावित के संबंध में ग्राम पंचायत ने मौका सिधति नहीं देखी पंचायत ने यह भी देशराज ने विना सूचना के अपने व अपनी पत्नी के नाम से ग्राम पंचायत से पट्टा जारी को उपयोग-उपयोग में ले रहे है । लेनदेन के डिप्युट होने पर देशराज अलग हो गया था । की थी । ग्राम पंचायत द्वारा कब्या अनुसार पट्टे नहीं दिये गये है । निगानीकार उक्त मूंस ररता है । बाहे है व कब्जे व उपयोग की मूंस है । श्वण लाल ने पूर्व स्वामित्वाधी से परदेज खातेदारी मूंस में बाडा, दक्षिण में गोपाल का बाडा 13 फीट, रामनारायण, रामजीलाल का का बाडा, उत्तर में आम रास्ता 13 फीट व श्वण, रामनारायण, गोपाल की नहीं है । विवाहित मूंस की सीमाएं पूर्व में शिव मंदिर व आम चौक, पश्चिम में रामनारायण की हुने निवेदन किया कि परिवार में संगे माई साथ में निवास करते थे विवाहित मूंस कब्जे की वकील निगानीकार ने बहस में निगानी प्रार्थना पत्र में अतिक तथ्यों को दोहराते




वकील निगानीकार ने बहस में निगानी प्रार्थना पत्र में अतिक तथ्यों को दोहराते किया जावे के आदेश प्रदान करे ।  
क उपयोगी कार्य मूंस पर काबिज होकर फायदा लेता आ रहा है इसलिये निगानी खारिज किया जाता रहा है वर्तमान में गैरनिगानीकार अपनी जाती जकरतों के हिसाब से रोज मरा निगानीकार एवं दीगर व्यक्तियों की नहीं रही है तथा उपयोग-उपयोग गैर निगानीकार द्वारा गैरनिगानीकार संख्या 1 के हक में जारी पट्टे के बाबत किसी प्रकार का कोई हित बाधयता गया है । इसलिये नैसखसी पाटील का अहम नुक्श होने के कारण निगानी खारिज योग्य है । खारिज योग्य है । प्ररुत निगानी में उप पंचीयक को जानबूझकर पहाकार कायम नहीं किया युका है इसलिये भी निगानी प्ररुत करने संबंधित प्राधान लागू नहीं होते है तथा निगानी पंचीयन भी उप पंचीयक महोदय मौजमाबाद के समक्ष दिनांक 22.06.2023 को करवाया जा लाभ प्राप्त करने की कुर्बेला के साथ निगानी पेश की गई है । पट्टेशुदा मूंस निखका निगानी में कथन/अभिबचन अपरुट, सहिध, अरुंर व मिथ्या भाषी है जिससे प्रयोग कर्दे तबक पुरवैनी बल करती है तथा पूर्व निगानीकारियों से कय करना बलते है इसलिये संख्या 1 की पट्टे शुरु मूंस से नहीं रहा तथा खय निगानीकार द्वारा अपने कथनों में क माननीय सिविल न्यायालय को प्राप्त है । निगानीकारान निनका कोई भी निगानीकार प्रकण माननीय न्यायालय द्वारा निररत नहीं किया जा सकता है तथा अपरिचित अधिकार पट्टेशुदा मूंस का पंचीयन उपपंचीयक मौजमाबाद द्वारा करवाया जा युका है इसलिये प्ररुत गैरनिगानीकार बल आ रहा है इसलिये पूर्व मौका रिपोर्ट अनुसार पट्टा जारी किया गया है । परिवारवाले तपरायन अधिवक्ता की मूंस रही है जिस पर ध्यानपूर्वक निवेदन किया पूर्व निगानीकार संख्या 1 के रखावित आधारा की मूंस रही है जिस पर पूर्व कब्जा बर्जा

कानून के परिप्रेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक गनन किया गया। पत्रावली में अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रसीली की मूल पत्रावली के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा आवेदन पत्र पर कौरम में विचार विमर्श के बाद तीन वार्ड पंचो की उपस्थिति में स्थल का मौका निरीक्षण करवाया गया है। वार्ड पंचो ने अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी संख्या 1 को आवेदित स्थल का विक्रय करने में कोई आपत्ति नहीं। नियमानुसार पट्टा जारी किया जावे। अप्रार्थी का पुराना कब्जा है। ग्राम पंचायत रसीली ने सात दिवस का आपत्ति नोटिस जारी किया है। उसके पश्चात फॉसला फॉर्म दिनांक 06.12.2021 को ग्राम पंचायत कौरम के अनुमोदन पश्चात संकल्प संख्या 03 दिनांक 06.12.2021 द्वारा पट्टा संख्या 73 दिनांक 06.12.2021 पट्टा शुल्क रसीद संख्या 14 दिनांक 06.12.2021 200 रुपये वसूल कर पट्टा जारी किया है।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 को पट्टा जारी किया है जिसमें किसी प्रकार का विधिक त्रुटी होना नहीं पाई गई है। निगरानीधीन पट्टे में कोई हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत रसीली का निर्णय दिनांक 06.12.2021 यथावत रखा जाता है। पट्टे की सीमा से बाहर यदि कोई अतिक्रमण पाया जावे तो उसके लिए ग्राम पंचायत रसीली निमयानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी के निगरानी में वर्णित तथ्य साबित नहीं होने से प्रार्थी की निगरानी धारा 97 पंचायत राज अधिनियम खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
अति. जिला कलेक्टर  
दूद